Besides; CBI is also filing prosecution cases saparately against the Private persons involved in the conspiracy.

The CBI investigation report in one cases is awaited.

(c) No such complaint has been received during the years 1992, 1993 and so far in 1994.

Mulund Telephone Exchange

64. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that more than 2000 telephone lines of level 564, 567 and 568 were out of order in Mulund Telephone Exchange; and

(b) how much time is required for ordinary cases to install a telephone after the work order?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir. These telephones went faulty due to cable fault during rains in June, 1994 which were attended in the shortest possible time by deploying staff round the clock.

(b) Telephones are normally installed within 30 days of the issue of work order, except where area is technically not feasible. However, in the case of bulk release, work orders are issued in advance of commissioning of the exchange capacity in order to complete external plant work in advance. In such cases, connections are provided progressively after the commissioning of the exchange.

दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश के लिए निर्धारित निबंधन और शर्तें

65. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों को उन्मुक्त प्रवेश की अनुमति देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे देश की सुरक्षा को खतरा तो पैदा नहीं हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो विदेशी कम्पनियों के प्रवेश के लिये क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपयुक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों के प्रवेश की शर्तें इस प्रकार हैं:–

दूरसंचार उपस्करों का विनिर्माण

(i) दूरसंचार उपस्कर के उत्पादन में 51 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी वाले मामले तथा एक करोड़ रु० तक के प्रौद्योगिकी शुल्क और स्वदेशी बिक्री के लिये 5 प्रतिशत एवं निर्यात के लिये 8 प्रतिशत तक के रायल्टी भुगतान वाले मामले, भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई, द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं ।

(ii) अन्य सभी मामलों अर्थात वे मामले जो उपयुक्त (i) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनके संबंध में भारत सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है ।

दूरसंचार सेवाएं :

दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में विदेशी निवेश वाले सभी मामलों में भारत सरकार का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है ।